संख्या-16/2023/751ई-2/तेरह-2023-1416949

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 18 अप्रैल, 2023

विषय:- मे. उत्तम शुगर मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम बरकतपुर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर की क्षमता सी-हैवी शीरे पर 150 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 875 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-08/दो-प्रा.डी.-76, दिनांक 11-04-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-04-2023में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम बरकतपुर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर की क्षमता सी-हैवी शीरे पर 150 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 525 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 875 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता काशीरा एवं केन जूस/शुगर सीरप पर आधारित प्लान्ट स्थापित किये जाने जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं एथनाल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जायेगा:-

(क) आसवक द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वनएवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्वप्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) इकाई द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(ग) आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र दिनांक 29-11-2022 द्वारा जिन शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनाल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है, का अनुपालन किया जायेगा।

(घ)आसवनी में केन जूस/सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी। आसवनी द्वारा केन जूस से एथनॉल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्पादन में प्रयोग किये गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी-हैवी/बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

(ड.) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।